न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 152/2022(2022/642)

1. रामेश्वर पुत्र जगदीश प्रसाद जाति रेगर निवासी उन्दरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. मथरा पत्नि धर्मराज जाति रेगर निवासी उन्दरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:–
प्रार्थी वकील :– श्री अनुराग पाण्डेय
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 19.12.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम उन्दरी, पटवार व भू–अभि. क्षेत्र कालेडा कृष्ण गोपाल तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
200–187	1102/206	1.28	बारानी–3
	कुल किता 1	कुल रकबा 1.28	
201–188	1092/206 1137/1092	1.11 0.01	बारानी 3 गै.मु.चाह
	कुल किता 2	कुल रकबा 1.12	
202–189	1093/206	0.34	बारानी 3
	कुल किता 1	कुल रकबा 1.12	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चली आ रही है जो कि प्रार्थीगण की स्वयं की आराजी है एवं प्रार्थीगण के कब्जे, स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखने के कारण पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त में लडाई झगडे होते है। दिनांक 28.06.2022 को प्रार्थीगण काश्त (खरार) करने गये तो अप्रार्थीगणों ने खरार नही करने दी व गाली गलोच करने लग गये तथा कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न की व सीमा चिन्ह नही होने होने के अभाव में हमारे खेत में भी काश्त नही करने दी जिसके कारण प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाव टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम उन्दरी, पटवार व भू–अभि.निरी क्षेत्र कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 200–187 के खसरा संख्या 1102/206 रकबा 1.28 हैक्टर, खाता संख्या नया पुराना 201–188 के खसरा संख्या 1092/206, 1137/1092 रकवा 1.11, 0.01 हैक्टर, खाता संख्या नया पुराना 202–189 के खसरा संख्या 1093/206 रकवा 0.34 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner